


10 .09.2024:—पत्रावली आज प्रार्थी बखुराम के प्रार्थना पत्र पर पेशी मे लिया गया। वादी जरिये अधिवक्ता श्री कैलाश धामू द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि भावना से प्रेरित होकर एव परिवार के मोजीज व्यक्तियो की समझाईस से राजीनामा हो चुका है। इसलिए वाद पत्र मे वादी आगे कोई कार्यवाही नही करना चाहते। इसलिए वाद पत्र वर्तमान स्तर पर खारिज (विद्रा) फरमाया जावे। वादी अधिवक्ता को उक्त प्रार्थना पत्र पर सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन उक्त वादी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वादपत्र मौजूदा सूरत मे विद्रा (खारिज) किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरबीज तकमील दाखिल दफतर हो।



  
सलियक कबकर  
एवं उपखण्डाधिकारी  
दनुमानगढ़